राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय राजस्थान,जयपुर

क्रमांकः—स.3(17)(1)अराज/स्था/अभि/19/14017-62 दिनांक 15/10/2019

कार्यालय—आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2011 का संशोधित परिणाम जारी कर दिनांक 27.03.2017 को चयनित 10 अभ्यर्थियों की सूची अभियोजन विभाग को अभिरथावित की गयी।

सहायक अभियोजन अधिकारी के वर्ष 2015 के 294 रिक्त पदों पर नियुक्त हेतु प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी। भर्ती प्रक्रिया के अनुसरण मे राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से दिनांक 06.12.2016 को चयनित 291 अभ्यर्थियों की सूची अभियोजन विभाग को अभिरथावित की गयी।

चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की अनुशंसा प्राप्त होने के बाद माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन याचिकाओं के निर्णयाधीन राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित अभ्यार्थियों को सहायक अभियोजन अधिकारी के रिक्त पदों पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियत पारिश्रमिक पर 02 वर्ष के लिये अस्थाई नियुक्ति प्रदान की गई थी। आदेशों का विवरण निम्न प्रकार से है:—

क्रम.	आदेश क्रमांक	दिनांक
01	स.3—2(1)स्था/अअअधि/अभि/नियुक्ति/2013/पार्ट—1/166—229	16.05.2017
02	स.3—2(04)स्था/अअअधि/अभि/नियुक्ति/2016/7908—8271	18.05..2017
03	स.3—2(04)स्था/अअअधि/अभि/नियुक्ति/2016/10534—96	03.07.2017

उपरोक्त आदेशों के द्वारा नियुक्त परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु सहायक अभियोजन अधिकारी जिन्होने 02 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, का नाम संलग्न सूची में उल्लेखित है तथा इनके द्वारा परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु के रुप में 02 वर्ष पूर्ण करने की दिनांक कालम सं. 06 में अंकित है। इनके द्वारा 02 वर्ष की संतोषप्रद सेवा पूर्ण करने पर इनके नाम के समुख कालम सं. 07 में अंकित दिनांक से राजस्थान सिविल सेवा (पुनिरिक्षित वेतन) नियम 2017 के पे—बैण्ड (02) 9300—34800 ग्रेड—पें (12) 4200/—के तदनुरुप पे मेट्रिक्स लेवल (11) 37800—119700 में नियमित वेतन व अन्य भत्तों के भुगतान की स्वीकृति एतदद्वारा प्रदान की जाती है।

इस आदेश के जारी दिनांक से एक माह के अन्दर सम्बन्धित कार्मिक द्वारा मकान किराया भत्ता हेतु आवेदन किये जाने पर मकान किराया भत्ता 02 वर्ष की अवधि पूर्ण करने की तिथि से देय होगा।

वित्त विभाग के मेमोरेण्डम संख्या F.I(2)FD/Rules/06/पार्ट—1 दिनांक 11.06.2014 के अनुसरण में जिन सहायक अभियोजन अधिकारयों ने एक माह से अधिक के असाधारण अवकाश उक्त अवधि में लिये है उनके परिविक्षा काल में उतनी ही अवधि की वृद्धि की जाती है।

संलग्नः— सूची

Sd/-
(एस. एन. व्यास)
निदेशक अभियोजन,
राजस्थान,जयपुर

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1—निजी सचिव, श्रीमान् अति. मुख्य सचिव, (गृह) राज0 सरकार।
2—समस्त उप निदेशक अभियोजन, राजस्थान।
3—समस्त सहायक निदेशक अभियोजन, राजस्थान।
4—सम्बन्धित सहायक अभियोजन अधिकारी.................................द्वारा सहायक निदेशक अभियोजन जिला............................
5—समस्त शाखा अभियोजन निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
5—निजी पत्रावली।
6—रक्षित पत्रावली।

15/10/19
निदेशक अभियोजन,
राजस्थान,जयपुर